

हृदय या सजातीयी मय इतिशिराल अज

सम्भार न तारीख
अंतराग जो इत
हृदय यही तारीख में
जाती हूए

सत्यनारायण खनाम नन्दकिशोर

प्रा. पत्र अस्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट
27. 1. 14 आज यह प्रा. पत्र प्रार्थी धारा 212 आर. टी. एक्ट का
वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिमे
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया
कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 2850/0. 18 है. याके ग्राम
तालाब तह. राजगढ़ को अप्रार्थी सं. 6 या अन्य किसी सखस को जर्जे
रहन बय आदि से मुन्तकिल न करें न कोई मुन्तकिल का दस्तावेज
पंजीबद करें न कोई नामांतरकरण दर्ज करें। मन्दिर क्यामजी महाराज
याके तालाब के भाग खर्चे के उपयोग में लेने व काबत करने में किसी प्रकार
की रुकावट वो मजाह्यत न करें। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत
बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 व 6 की ओर से आराजी विवादित
बाबत केविट प्रा. पत्र मय वकालतनामा श्री राहुल दिक्षित का पेश होने
के कारण उन्हें सूना गया। उक्त अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रा. पत्र
भी प्रस्तुत हुआ। बहस वकूलाय सूनी गई पत्रावली का अवेकम अवलोकन
किया गया। शपथ पत्र प्रार्थीगण, व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते
हुये प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थीगण को
जरिमे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दि. 25/1/14 तक अवेकम पाबन्द
किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकार्ड की
स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में नोटिस भी जारी हो कि इस
सम्बन्ध में उन्हें कोई स्तराज हो तो दि. 25/1/14 को पेश हों। दर्ज
हो।

उप खण्ड अधिकारी राजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'राजगढ़' and 'अलवर']

अभिभाषक मण्डल
स्थगित किया है। दिनांक 6/1/14
को पेश हो
S.D.O.

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/12/24

पत्रावली पेश / वक्तु उपर वास्ते
वदस दिनांक 27/12/24 को पेश

882
500

अभिभावक मामले में कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 03/01/25
को पेश हो

S.D.O.

3/1/25 पत्रावली पेश गुलाम उर्फ 9/1/25
वदस दिनांक 29/1/25 को पेश

29/01/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03/03/25
को पेश हो।

S.D.O.

03/09/25 सुप्रीम कोर्टी खस पेश
अभिभावक मामले में कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 03/10/25
को पेश हो

03/10/25

पत्रावली पेश गुलाम दाद अदम
हाजिरी एवं अदम परकी के तख्त
छारिज किया जा चुका है अतः प्रथम
पत्र 2.12 RT Act की कार्यवाही खदेकी
जाती है। पत्रावली नम्बर से कमरेका
दाद पूरि गुलाम दाद के साथ संपन्न

500